चित्रकूट-पुलिस

(1). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट/अपर जनपद न्यायाधीश श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 10/2006 धारा 147,148,149,307,364 भादवि व 12 डीएए एक्ट के आरोपी अभियुक्त शिवकुमार केटव पुत्र रघुवीर केवट 2.बालुम उर्फ बालम केवट पुत्र बोड़ीलाल केवट निवासीगण चन्दनापुर थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर 3.दुर्गा केवट पुत्र बल्देव निवासी धानेपुर थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर 4. जयनारायण शुक्ल पुत्र रामचन्द्र शुक्ल निवासी कुचौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 33-33 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 13.01.2006 को तत्कालनी थानाध्यक्ष राजापुर डा0 संजय सिंह अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि ग्राम लमियारी के पास शंकर केवट गैंग के सदस्य अभियुक्तगण शिवकुमार केवट, रघुवीर केवट,दुर्गा प्रसाद व जयनारायण शुक्ला उपरोक्त अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कल्लू रैदास पुत्र सैकू व गया पाल पुत्र बड़कू निवासीगण लमियारी का अपहरण करके ले जा रहे थे कि पुलिस पार्टी द्वारा उन्हें रोका गया तो गैंग ने एक राय होकर जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया था, जिसमें बदमशों की एक गोली से ग्राम लमियारी निवासी जुगराज सिंह को लगी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना राजापुर में मु0अ0स0 10/2006 धारा 147,148,149,307,364 भादवि व 12 डीएए एक्ट बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। दिनाँक 28.06.2013 को डकैत शंकर केवट मारा गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा की गयी थी तथा दिनाँक 30.06.2006 को आरोपियों को विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(2). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी महेश्वरीदीन तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री सुशील कुमार वर्मा द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 266/2021 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र स्व0 राजकुमार द्विवेदी निवासी खपटिहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(3). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न

सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 13.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सरैया उ0नि0 यदुवीर सिंह तथा आरक्षी मनोज कुमार,आरक्षी राजमंगल द्वारा अभियुक्त अंकित द्विवेदी पुत्र राजेश द्विवेदी निवासी ग्राम सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को क 14 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार द्वारा लोकसभा चुनाव-2024 को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने आवण्टित पीएसी बल एवं होमगार्ड की कंपनियों का पुष्प गुच्छ देकर/पुष्प माल पहनाकर एवं जलपान कराकर भव्य स्वागत किया गया। जिसमें थाना राजापुर अन्तर्गत नवीन फायर स्टेशन,वशिष्ठ नारायण करवरिया महाविद्यालय में जवानों के रुकने के सम्बन्ध में सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गयी।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार द्वारा लोकसभा चुनाव-2024 को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने आवण्टित पीएसी बल एवं होमगार्ड की कंपनियों का पुष्प गुच्छ देकर/पुष्प माल पहनाकर एवं जलपान कराकर भव्य स्वागत किया गया। जिसमें थाना राजापुर अन्तर्गत नवीन फायर स्टेशन,वशिष्ठ नारायण करवरिया महाविद्यालय में रुकने के सम्बन्ध में सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गयी।